

समाहरणालय, बक्सर
(जिला प्रोग्राम कार्यालय)
आई०सी०डी०एस०



E-mail ID- dpo.bux@gmail.com
Mobile No—9431005024

आदेश

निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ (ICDS) निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक 2662, दिनांक 23.05.2019 द्वारा प्राप्त निदेशानुरूप प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना (PMMVY) के अन्तर्गत जिला/परियोजना स्तर पर अनुबंध के आधार पर जिला प्रोग्राम समन्वयक एवं जिला प्रोग्राम सहायक के नियोजन हेतु प्राप्त निदेश के आलोक में उक्त दोनों पदों पर संविदा पर नियोजन हेतु विभागीय स्तर से प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में ऑन-लाईन प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर अभ्यर्थियों के चयन हेतु दिनांक 09.07.2019 को साक्षात्कार हेतु बैठक आयोजित की गई।

दिनांक 09.07.2019 को आयोजित साक्षात्कार की कार्यवाही ज्ञापांक 706, दिनांक 26.08.2019 के माध्यम से जिला प्रोग्राम समन्वयक एवं जिला प्रोग्राम सहायक के पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु चयनित अभ्यर्थियों को निम्नांकित शर्तों के साथ नियोजित किया जाता है, जिनका नाम एवं पता निम्नवत् है :-

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	निबंधन संख्या	चयनित पद का नाम	नियोजित आरक्षण बिन्दु	पदस्थापित कार्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री चन्दन कुमार, पिता श्री अवधेश पाठक, ग्राम-जासो, पो०+जिला-बक्सर, मो० नं० 7717706191	131906054089	जिला प्रोग्राम समन्वयक	सामान्य (एकल पद)	जिला प्रोग्राम कार्यालय, बक्सर
2.	सुश्री शिवांगी, पिता डा० नागेन्द्र चौबे, मु० काली स्थान, बुधनपुरवा, बक्सर, थाना+ जिला-बक्सर, मो० नं० 9097529663	141906064495	जिला प्रोग्राम सहायक	सामान्य (एकल पद)	जिला प्रोग्राम कार्यालय, बक्सर

शर्तें :-

- कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर बिना सूचना के संविदा समाप्त कर दी जायेगी।
- जिला प्रोग्राम समन्वयक के पद पर नियोजित अभ्यर्थी को प्रतिमाह 35,000/- की दर से मानदेय देय होगा।
- जिला प्रोग्राम सहायक के पद पर नियोजित अभ्यर्थी को प्रतिमाह 20,000/- की दर से मानदेय देय होगा।
- यह नियोजन पूर्णतः संविदा आधारित एवं अस्थायी है, जो बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है। इसके लिए नियमित नियुक्ति का कोई दावा मान्य नहीं होगा। नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों को अनुमान्य सुविधा के हकदार होंगे।

5. नियोजित अभ्यर्थियों को मानदेय का भुगतान उनके प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के पश्चात देय होगा। सत्यापन के क्रम में यदि उनका प्रमाण-पत्र गलत पाया जाता है तो उनके विरुद्ध दण्डनात्मक कार्रवाई की जायेगी।
6. नियोजित अभ्यर्थियों को योगदान हेतु कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा।
7. यदि पत्र प्राप्ति के दस दिनों के अंदर अपना योगदान नहीं देते हैं तो उनका संविदा समाप्त करते हुए प्रतीक्षा सूची के अन्य अभ्यर्थी का नियोजन किया जायेगा।
8. असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, शादी में दहेज न लेने-देने का तथा शराब का सेवन न करने का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

रूप

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक 736 /बक्सर,दिनांक 03/09/2019.

प्रतिलिपि :- निदेशक, (ICDS) निदेशालय, बिहार, पटना

उप विकास आयुक्त, बक्सर

वरीय कोषागार पदाधिकारी, बक्सर

आई0टी0मैनेजर, समाहरणालय, बक्सर

संबंधित अभ्यर्थी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

R. Singh
03/09/19
जिला पदाधिकारी,
बक्सर।